

17-12-19

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31.12.20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

31-3-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.6.20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

9-6-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25.8.20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25.8.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24.11.20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24-11-20

उपस्थित उपस्थित पीठारीन अधिकारी चुनाव कार्य में बाहर हैं। पत्रावली दिनांक 16.3.21 को पेश हो।

रीडर

16-3-21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15.6.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य तथा न्यायिक रखने से पत्रावली दिनांक 26.10 को पेश हो।

14-10-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत कवराडिया में पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार माडल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैलल शुभार होकर मम्बर से कम है।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

जो इस
की तारीख
तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ० पूजा सक्सेना (आर.ए.एस.)

फ़ाइल नम्बर :- 99/2015

उनवान

1. श्रीमती हीरी पत्नी प्यारा गुर्जर निवासी गराड़िया तहसील माण्डल।
2. श्री मेवा पिता जगु गुर्जर निवासी गराड़िया तहसील माण्डल।

-वादीगण।

बनाम

1. श्री ईश्वर पिता गोपी गुर्जर निवासी गराड़िया तहसील माण्डल।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल।

-प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,54 राज.का.अधिनियम,1955 बाबत विभाजन आराजियात

:: निर्णय ::

दिनांक :- 14.10.2021

मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री पवन शर्मा के इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि ग्राम गराड़िया पटवार मण्डल कबराड़िया भूमिलेख निरीक्षक त आलमास क्री जमाबन्दी सम्बन्धित 2069-2072 के खाता संख्या 12 मे आ0न0 196 रकबा 15 बीघा, आ0न0 197 रकबा 1.06 बीघा, आ0न0 198 रकबा 1.13 बीघा कुल कित्ता 03 रकबा 09.14 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या -01 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन कराना चाहते है।

वाद पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राज.का.अधिनियम,1955 स्वीकार किया जाकर दर्ज जेस्टर किया गया एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2015 को इस आशय की जारी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या -01 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि भूमि का रिकार्ड एवं के अनुसार तथा बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार माण्डल तैयार कर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करे।

तहसीलदार माण्डल द्वारा दिनांक 14.10.2021 को प्राथमिक डिक्री की पालना मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण संख्या - 01 अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा समाहित गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी बहस, पत्रावली मौजूद दस्तावेजों एवं तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर मनन करने पर विभाजन प्रस्ताव उचित होने से ग्राम गराड़िया पटवार मण्डल कबराड़िया भूमिलेख निरीक्षक त आलमास तहसील माण्डल की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन, प्रस्ताव अनुसार